ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांकः ग्रे.नो. / संस्था / 2019 / 81
दिनांक 24 .06.2019

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 114 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2019 में मद संख्या 114 / अनु0–26 में प्राधिकरण के अन्तर्गत संस्थागत क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के लिए भूमि आवंटन करने हेतु ओपेन एण्डेड स्कीम की योजना हेतु निम्न नियम एवं शर्तें के साथ नीति निर्धारित की जाती हैः–

1. धार्मिक स्थलों हेतु भूमि के आवंटन की योजना ओपेन एण्डेड होगी।
2. माह में आवंटन हेतु, प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अगले माह के तीसरे सप्ताह तक आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।
3. धार्मिक स्थलों का प्राधिकरण द्वारा चिन्हिकरण के पश्चात जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से उक्त स्थ्लों पर धार्मिक स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त की जायेगी तत्पश्चात स्थलों के प्रकाशन की कार्यवाही की जायेगी।
4. धार्मिक स्थलों के आवंटन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे तथा जिसमें सदस्य के रूप में जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो क्रमशः अपर जिलाधिकारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से कम के नहीं होंगे, उक्त के अतिरिक्त महाप्रबंधक (वित्त), महाप्रबंधक (परियोजना), महाप्रबंधक / नगर नियोजक (नियोजन) एवं उप महाप्रबंधक (संस्थागत) सदस्य के रूप में होंगे।
5. धार्मिक स्थलों के आवंटन हेतु आवेदकों का चयन आवंटन समिति द्वारा प्रस्तुत पूर्ण आवेदनों के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
6. आवेदकों के चयन में एक मुश्त धनराशि जमा करने वाले आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
7. धार्मिक स्थल के आवंटन हेतु चयनित व्यक्ति / संस्था को जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा, तत्पश्चात ही चयनित व्यक्ति / संस्था के पक्ष में अन्तिम रूप से आवंटन पत्र प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया जायेगा।
8. आवंटन के पश्चात आवंटी व्यक्ति / संस्था को लीजडीड निष्पादन के पॉच वर्ष के अन्दर धार्मिक स्थल के निर्माण कार्य को सम्पूर्ण करना होगा।

उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2019 में मद संख्या 114 / अनु0–26 में अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में जारी किये जा रहे है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

21/6/19

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. स्टाफ ऑफिसर को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) को सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. उप महाप्रबंधक (संस्थागत)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी